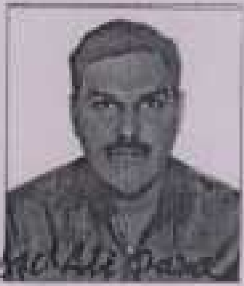 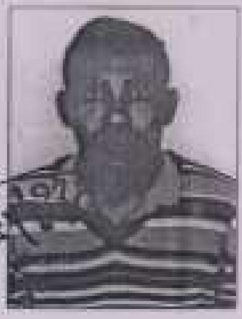

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक प्रथम

प्रतिज्ञा पत्र विक्रय बिला कब्जा

आवंटित वी. कोडः— 0153

महायदा मूल्य	:—	89,00,000 / —रूपये
अग्रिम धन	:—	30,00,000 / —रूपये
स्टाम्प शुल्क	:—	1,78,000 / —रूपये

हम कि मौहम्मद अकरम (AADHAR NO. 7311 8805 9303) व अमजद अली राना (AADHAR NO. 5720 0538 4242) व अरशद अली (VID NO. UP/82/408/0069111) व मुरशद अली (AADHAR

NO. 7091 2816 3985) व अब्दुल समन्द (AADHAR NO. 4224 4819 4112) पुत्रगण श्री मसूद अली व बुरहान अली (VID NO. UP/82/408/069113) व रिजवान अली (VID NO. UP/82/408/069533) पुत्रगण स्वर्गीय उसमान अली व श्रीमति शहनाज परवीन (VID NO. UP/82/408/0069109) पत्नी स्वर्गीय श्री उसमान अली निवासीगण ग्राम सुजड़ू परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष व वसुन्धरा इन्फ्राबिल्ड प्रा०लि० (PAN NO-AADCV8074B) वसुन्धरा रैजीडेन्सी परिक्रमा मार्ग सरकुलर रोड शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वारा डायरेक्टर अमित कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र पाल सिंह निवासी मकान नम्बर 438/28 मौहल्ला

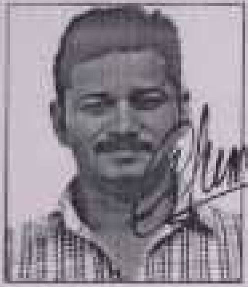

सुमन विहार शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व जय अम्बे डेवलेपर्स 273/1 सिविल लाईन उत्तरी मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर श्रीमति शालिनी गुप्ता पत्नी श्री मुनीश कुमार निवासी मकान नम्बर 84/3बी नई मण्डी मुजफ्फरनगर (AADHAR NO-6718 7702 2504) द्वितीय पक्ष के है।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है, और जिसके बारे मे प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है। निम्नलिखित सम्पत्ति प्रथम पक्ष के कब्जे व अधिकार मे है, और जो इस समय तक हर प्रकार के भार बन्धक आदि से कतई स्वच्छ एंव मुक्त है। किसी वित्तीय संस्थान या व्यक्तिगत वित्तीय संस्थान मे बन्धक नही है, और न ही किसी जमानत मे दी हुई है, और जिसके बारे मे प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है। प्रथम

Amjad Ali Rana

Shalini Gupta

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP03176431664633P
Certificate Issued Date	:	09-May-2017 12:47 PM
Account Reference	:	NONACC (BK)/ upcbibk02/ MUZAFFARNAGAR2/ UP-MJF
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPCBIBK0203810683010452P
Purchased by	:	VASUNDHARA INFRABULID P L TH DIR AMIT KUMAR AND OT
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	AGRICULTURE LAND SITUATED AT VILL-SUJRU, KHASRA NO-2150, PARGANA MUZAFFARNAGAR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MOHD AKRAM SO MASOOD ALI AND OTHERS
Second Party	:	VASUNDHARA INFRABULID P L TH DIR AMIT KUMAR AND OT
Stamp Duty Paid By	:	VASUNDHARA INFRABULID P L TH DIR AMIT KUMAR AND OT
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,78,000 (One Lakh Seventy Eight Thousand only)

----------Please write or type below this line----------

पक्ष ने निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने का सौदा द्वितीय पक्ष से कर रहा है। अतः प्रथम पक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता व स्वस्थ मस्तिष्क की दशा मे होकर अपनी

0006056428

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

निम्नलिखित सम्पत्ति को मय उससे सम्बन्धित अपने समस्त अधिकारो के न रखने शेष किसी भी अधिकार के अपनी आवश्यकता वश अपने परिवार के परामर्श व सहमति से निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने के सौदा **नवासी लाख 89,00,000/–रूपये** मे द्वितीय पक्ष को किया है, और द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की निम्नलिखित सम्पत्ति को मौके पर देख लिया है, और समझ लिया है, और उसके आकार प्रकार तथा उसमे प्रथम पक्ष के अधिकारो के प्रति अपनी पूरी जानकारी और तसल्ली कर ली है कि यह सही है, और द्वितीय,प्रथम पक्ष की निम्नलिखित सम्पत्ति को उक्त मूल्य में क्रय करने के लिये तैयार है, दोनो पक्ष बैनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये दिनांक **07–11–2018 ई0** तक का

समय निश्चित करते है. प्रथम पक्ष ने मुबलिग **तीस लाख 30,00,000/–रूपये** अग्रिम धन मे द्वितीय पक्ष से द्वारा 16 किते चैक दिनांकित 16–05–2017 ई0 प्रत्येक एच0डी0एफ0सी0 बैंक मुजफ्फरनगर प्राप्त किये है. जो बैनामे के निष्पादन के समय जरे कीमत मे मुजरा किये जावेगे तथा शेष जरे कीमत द्वितीय पक्ष बैनामे के समय अदा करेगा। अतः दोनो पक्ष बैनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये निम्न धाराओ के पाबन्द रहेगे। नं01:– यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त निश्चित की गई अवधि के अन्तर्गत जब भी द्वितीय पक्ष बैनामा कराना चाहे अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का बैनामा तय की गई उक्त धनराशि में बहक द्वितीय पक्ष बिना किसी आपत्ति के कर देगा यदि प्रथम पक्ष उक्त अवधि के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के बैनामा कराने के बावजूद बैनामा नकरे तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह शेष विक्रय मूल्य अदालत के अधिकार मे जमा करके बैनामा द्वारा अदालत अपने हक मे करा लेवे इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। नं02:–यह कि यदि उपरोक्त अवधि के भीतर प्रथम पक्ष के बैनामा करने के बावजूद, द्वितीय पक्ष

Amjad Ali Rana

Shalini Gupta

बैनामा न कराये और कराने से इन्कार करे, तो ऐसी समस्त दशाओ में द्वितीय पक्ष द्वारा दिया हुआ अग्रिम धन जब्त माना जावेगा और प्रथम पक्ष अग्रिम धन वापिस लौटाने का पाबन्द न होगा तथा निम्नलिखित सम्पत्ति उक्त शर्तों की पाबन्दी से मुक्त मानी जावेगी। नं03:- यह कि शेष विक्रय मूल्य द्वितीय पक्ष रजिस्ट्री समय प्रथम पक्ष को अदा करेगा और बैनामे के निष्पादन एव रजिस्ट्री का कुल खर्च बजिम्मे द्वितीय पक्ष रहेगा। यदि प्रथम पक्ष के बैनामा न करने की दशा में द्वितीय पक्ष को बैनामे के निष्पादन की कार्यवाही अदालत मे करनी पडी तो जो खर्च अदालत मे होगा बजिम्मे प्रथम पक्ष रहेगा। जिसे द्वितीय पक्ष प्रथम

Amjad Ali Rana

अरशद अली मुरशद

अब्दुल रशीद कुरबान अली

Shalini Gupta

पक्ष से प्राप्त करने का अधिकार होगा। नं04:– यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा बैनामा स्वयं अपने नाम या अपने साथ अपने से सम्बन्धित व्यक्ति एक या एक से अधिक को शामिल करके कराये इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। यदि प्रथम पक्ष को बैनामा करने के लिये निम्नलिखित सम्पत्ति की बाबत कोई अनुमति किसी न्यायालय या विभाग या कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता हुई तो वह अनुमति प्रथम पक्ष अपने खर्च से प्राप्त करके उसकी लिखित सूचना द्वितीय पक्ष को देकर बैनामा करने का पाबन्द होगा। नं05:– यह कि प्रथम पक्ष ने अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का कोई प्रतिज्ञा पत्र विक्रय नही किया हुआ है और न ही किसी भी तरीके से हस्तान्तरित है और न ही भविष्य

Amjad Ali Rana अरशद अली

उबदुलसमद नुरहान अली

Shalini Gupta

मे करेगा। नं06:– यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष को कब्जा बैनामे के निष्पादन के समय दिया जावेगा। तब तक प्रथम पक्ष का ही कब्जा रहेगा। नं07:– यह कि बैनामे के निष्पादन के समय सम्पत्ति निम्नलिखित पर यदि कोई मतालबा सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह का प्रथम पक्ष की ओर देय व बकाया हुआ तो प्रथम पक्ष उसे अदा अदा व बेबाक करते हुये बैनामा बहक द्वितीय पक्ष करने का पाबन्द रहेगा। नं08:– यह कि उक्त शर्तो के दोनो पक्ष व उनके वारसान पूर्ण पाबन्द है, और भविष्य मे भी पाबन्द रहेगें। अस्तु यह प्रतिज्ञा पत्र विक्रय लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति:–

विवरण सम्पत्ति स्थित ग्राम **सुजड़ू** परगना व तहसील व जिला

Amjad Ali Rana अरशद अली मुरशद

Shalini Gupta

मुजफ्फरनगर:– जो कि कृषि भूमि खतौनी वर्ष 1419 ता 1424 फसली के खाता संख्या 791 के नम्बर खसरा दो हजार एक सौ पचास, एक दशमलव, तीन, शून्य, चार शून्य **2150/1.3040 हैक्टेयर** लगान सालाना 64.45–रूपये का हक व हिस्सा कुल प्रथम पक्ष यानि **3415/13040 भाग**, भागानुसार क्षेत्र **0.3415 हैक्टेयर**, मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

साक्षी——————— साक्षी———————

तहरीर ता0:– 16–05–2017 ई0

ड्राफ्टकर्ता:– योगेन्द्र कुमार काम्बोज एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर

आज दिनांक **16/05/2017** को

बही सं **1** जिल्द सं **9980**

पृष्ठ सं **361** से **400** पर क्रमांक **3370**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्रीमती रश्मि प्रभा (नरेश कुमार नि0सहायक)
उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर
16/5/2017

उप-निबन्धक प्रथ
उत्तर-

S.R.-I
MZN

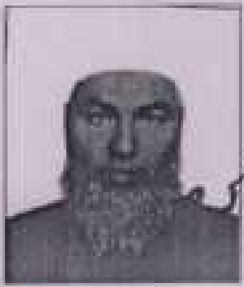
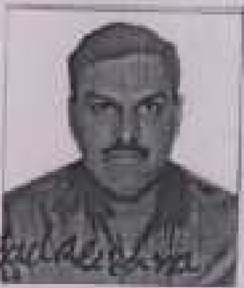

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक प्रथम

प्रतिज्ञा पत्र विक्रय बिला कब्जा

आवंटित वी. कोड– 0153

महायदा मूल्य	:– 89,00,000/–रूपये
अग्रिम धन	:– 30,00,000/–रूपये
स्टाम्प शुल्क	:– 1,78,000/–रूपये

हम कि मौहम्मद अकरम (**AADHAR NO. 7311 8805 9303**) व अमजद अली राना (**AADHAR NO. 5720 0538 4242**) व अरशद अली (**VID NO. UP/82/408/0069111**) व मुरशद अली (**AADHAR NO. 7091 2816 3985**) व अब्दुल समन्द (**AADHAR NO. 4224**

4819 4112) पुत्रगण श्री मसूद अली व बुरहान अली (VID NO. UP/82/408/069113) व रिजवान अली (VID NO. UP/82/408/069533) पुत्रगण स्वर्गीय उसमान अली व श्रीमति शहनाज परवीन (VID NO. UP/82/408/0069109) पत्नी स्वर्गीय श्री उसमान अली निवासीगण ग्राम सुजडू परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष व **वसुन्धरा इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0** (PAN NO-AADCV8074B) वसुन्धरा रैजीडेन्सी परिक्रमा मार्ग सरकुलर रोड शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वारा डायरेक्टर अमित कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र पाल सिंह निवासी मकान नम्बर 438/28 मौहल्ला सुमन विहार शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व **जय अम्बे डेवलेपर्स** 273/1 सिविल लाईन उत्तरी मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर श्रीमति शालिनी गुप्ता पत्नी श्री मुनीश कुमार निवासी मकान नम्बर 84/3बी नई

Amjad Ali Rana

Shalini Gupta

मण्डी मुजफ्फरनगर (AADHAR NO-6718 7702 2504) द्वितीय पक्ष के है।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है, और जिसके बारे मे प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है। निम्नलिखित सम्पत्ति प्रथम पक्ष के कब्जे व अधिकार मे है, और जो इस समय तक हर प्रकार के भार बन्धक आदि से कतई स्वच्छ एंव मुक्त है। किसी वित्तीय संस्थान या व्यक्तिगत वित्तीय संस्थान मे बन्धक नही है, और न ही किसी जमानत मे दी हुई है, और जिसके बारे मे प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है। प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने का सौदा द्वितीय पक्ष से कर रहा है। अतः प्रथम पक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता व स्वस्थ मस्तिष्क की दशा मे होकर अपनी

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP03176443569710P
Certificate Issued Date	:	09-May-2017 12:48 PM
Account Reference	:	NONACC (BK)/ upcbibk02/ MUZAFFARNAGAR2/ UP-MJF
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPCBIBK0203810848466775P
Purchased by	:	VASUNDHARA INFRABULID P L TH DIR AMIT KUMAR AND OT
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	AGRICULTURE LAND SITUATED AT VILL-SUJRU, KHASRA NO-2150, PARGANA MUZAFFARNAGAR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MOHD AKRAM SO MASOOD ALI AND OTHERS
Second Party	:	VASUNDHARA INFRABULID P L TH DIR AMIT KUMAR AND OT
Stamp Duty Paid By	:	VASUNDHARA INFRABULID P L TH DIR AMIT KUMAR AND OT
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,78,000 (One Lakh Seventy Eight Thousand only)

Please write or type below this line

निम्नलिखित सम्पत्ति को मय उससे सम्बन्धित अपने समस्त अधिकारो के न रखने शेष किसी भी अधिकार के अपनी आवश्यकता वश अपने परिवार के

0006056429

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

परामर्श व सहमति से निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने के सौदा **नवासी लाख 89,00,000/–रूपये** मे द्वितीय पक्ष को किया है, और द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की निम्नलिखित सम्पत्ति को मौके पर देख लिया है, और समझ लिया है, और उसके आकार प्रकार तथा उसमे प्रथम पक्ष के अधिकारो के प्रति अपनी पूरी जानकारी और तसल्ली कर ली है कि यह सही है, और द्वितीय,प्रथम पक्ष की निम्नलिखित सम्पत्ति को उक्त मूल्य मे क्रय करने के लिये तैयार है, दोनो पक्ष बैनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये दिनाक **07–11–2018 ई0** तक का समय निश्चित करते है, प्रथम पक्ष ने मुबलिग **तीस लाख** 30,00,000/–रूपये अग्रिम धन मे द्वितीय पक्ष से द्वारा 16 किते चैक दिनांकित 16–05–2017 ई0

प्रत्येक एच0डी0एफ0सी0 बैंक मुजफ्फरनगर प्राप्त किये है, जो बैनामे के निष्पादन के समय जरे कीमत में मुजरा किये जावेंगे तथा शेष जरे कीमत द्वितीय पक्ष बैनामे के समय अदा करेगा। अतः दोनो पक्ष बैनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये निम्न धाराओं के पाबन्द रहेंगे। नं01:– यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त निश्चित की गई अवधि के अन्तर्गत जब भी द्वितीय पक्ष बैनामा कराना चाहे अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का बैनामा तय की गई उक्त धनराशि में बहक द्वितीय पक्ष बिना किसी आपत्ति के कर देगा यदि प्रथम पक्ष उक्त अवधि के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के बैनामा कराने के बावजूद बैनामा नकरे तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह शेष विक्रय मूल्य अदालत के अधिकार में जमा करके बैनामा द्वारा अदालत अपने हक में करा लेवे इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। नं02:–यह कि यदि उपरोक्त अवधि के भीतर प्रथम पक्ष के बैनामा करने के बावजूद, द्वितीय पक्ष बैनामा न कराये और कराने से इन्कार करे, तो

Amjad Ali Rana

Shalini Gupta

ऐसी समस्त दशाओं में द्वितीय पक्ष द्वारा दिया हुआ अग्रिम धन जब्त माना जावेगा और प्रथम पक्ष अग्रिम धन वापिस लौटाने का पाबन्द न होगा तथा निम्नलिखित सम्पत्ति उक्त शर्तो की पाबन्दी से मुक्त मानी जावेगी। न03:— यह कि शेष विक्रय मूल्य द्वितीय पक्ष रजिस्ट्री समय प्रथम पक्ष को अदा करेगा और बैनामे के निष्पादन एवं रजिस्ट्री का कुल खर्च बजिम्मे द्वितीय पक्ष रहेगा। यदि प्रथम पक्ष के बैनामा न करने की दशा में द्वितीय पक्ष को बैनामे के निष्पादन की कार्यवाही अदालत में करनी पड़ी तो जो खर्च अदालत में होगा बजिम्मे प्रथम पक्ष रहेगा। जिसे द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से प्राप्त करने का अधिकार होगा। न04:— यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा बैनामा स्वयं अपने नाम या अपने साथ अपने से सम्बन्धित व्यक्ति एक या एक से अधिक को शामिल करके करादे

Amjad Ali Rana

अरशद अली

अब्दुल समद

फुरकान अली

Shalini Gupta

इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। यदि प्रथम पक्ष को बैनामा करने के लिये निम्नलिखित सम्पत्ति की बाबत कोई अनुमति किसी न्यायालय या विभाग या कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता हुई तो वह अनुमति प्रथम पक्ष अपने खर्च से प्राप्त करके उसकी लिखित सूचना द्वितीय पक्ष को देकर बैनामा करने का पाबन्द होगा। नं05:- यह कि प्रथम पक्ष ने अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का कोई प्रतिज्ञा पत्र विक्रय नही किया हुआ है और न ही किसी भी तरीके से हस्तान्तरित है और न ही भविष्य में करेगा। नं06:- यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष को कब्जा बैनामे के निष्पादन के समय दिया जावेगा तब तक प्रथम पक्ष का ही कब्जा रहेगा। नं07:- यह कि बैनामे के निष्पादन के समय सम्पत्ति निम्नलिखित पर यदि कोई मतालबा सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह का प्रथम पक्ष

Amood Ali Rana इरशाद अली

अब्दुलसमद नुरहसन अली

Shalini Gupta

की ओर देय व बकाया हुआ तो प्रथम पक्ष उसे अदा अदा व बेबाक करते हुये बैनामा बहक द्वितीय पक्ष करने का पाबन्द रहेगा। नं08– यह कि उक्त शर्तों के दोनों पक्ष व उनके वारसान पूर्ण पाबन्द है, और भविष्य मे भी पाबन्द रहेंगें। अस्तु यह प्रतिज्ञा पत्र विक्रय लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति–

विवरण सम्पत्ति स्थित ग्राम **सुजड़ू** परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर– जो कि कृषि भूमि खतौनी वर्ष 1419 ता 1424 फसली के खाता संख्या 791 के नम्बर खसरा दो हजार एक सौ पचास, एक दशमलव, तीन, शून्य, चार, शून्य 2150/1.3040 **हैक्टेयर** लगान सालाना 64.45–रूपये का एक व हिस्सा कुल प्रथम पक्ष यानि 6830/13040 भाग, का 3415/6830 भाग